

31-5-22 पत्रावली पेरा दुकी वकील  
वकील अरुण पत्रावली में बहस दुकी  
गर्ज वास्ति आदेश दि 9-6-22  
की पेरा हो

उपखण्ड अधिकारी  
नीमराना (अलवर) राज.

9-6-22 अरुण पत्रावली पेरा दुकी  
वकील वकील अरुण पत्रावली  
में वकील का काद सिद्ध नहीं हो  
के कारण (आदेश निरस्त) है  
विस्तृत निवेदन प्रथम से लिखकार  
आकर शांति पत्रावली निपात्रों  
पत्रावली देखल सुमा होकर  
से नक हो काद प्रसे गारु  
द्वारा हो

उपखण्ड अधिकारी  
नीमराना (अलवर) राज.

